अपील सूचना अधिकार संख्या 81/2020 (RCMS 2020/00149) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु ... वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पो.ऑ. नं. 48एफ/311180) बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

06.09.2021

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री नन्द किशोर उपस्थित है। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2020 से लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर पर 25000/- रूपया शास्ति अधिरोपित करने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2020 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. प्रार्थी के पत्रांक 2975 दिनांक 02.03.12 जो 09.03.12 को आपके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, उसका आपके कार्यालय का पत्र प्राप्ति पंजिका का नम्बर व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र में अंकित तथ्यो के बारे में जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही [illegible] प्रति।
3. प्रार्थी का पत्रां[illegible] जो कि दिनांक 04.05.12 को [illegible]र को प्रस्तुत किया [illegible] था, उसकी पत्र प्राप्ति पंजिका [illegible] सूचना व प्रमाणित प्र[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. पत्रांक 3091 दिनांक 02.05.12 के साथ संलग्न पत्रांक 475 दिनांक 12.03.12 किया था, उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त दोनो पत्रो पर सम्बन्धित कर्मकार द्वारा कार्यवाही किये जाने व न किये जाने की सूचना जिसमें प्रार्थी द्वारा कार्यवाही करने के लिए आवेदन किया था।
6. प्रार्थी के पत्रांक पर कार्यवाही न करने के आधार पर दोषी कर्मकारो के विषय मे की गयी कार्यवाही की सूचना।

अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर के रीडर से इस प्रकरण में वांछित सूचनाओं की जानकारी चाही गई तो उनके द्वारा पत्र संख्या आरटीआई/2020/541 दिनांक 26.06.2020 की फोटो प्रति पेश की और बताया कि अपीलार्थी का प्रार्थना स्पष्ट न होने के कारण उसे वापिस लौटा दिया गया कि सूचना स्पष्ट कर अंकित करें। जो उसके द्वारा पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थी को जो पत्र अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर द्वारा जो लिखा गया है, वह निम्न प्रकार से है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई में आप द्वारा चाही गई सूचना स्पष्ट नहीं है। कृपया आप चाही गई सूना का स्पष्ट अंकन कर भिजवाने की व्यवस्था करें, ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

संलग्न : संलग्न मूल प्राथना प

-sd-
(डा. गुंजन सोनी)
लोक सूचना अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी को उसका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रार्थना पत्र वापिस लौटाया जा चुका है इसलिए अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत प्रस्तुत यह अपील पोषणीय नहीं है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:14:01 IST
Reason: SelfAttested